

03-01-2022

पत्रावली पेश हुई। शेष प्रतिक्रिया की प्रोफर
तलबी हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद
आदिनांक तक शेष की तलबी बली हुई है। अतः
बाद कदीमा का शेष तलबी असाब में आदेश-9,
नियम-5 जा० की० के अंतर्गत एतद्वारा धारिज
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल सुमार होकर
गैर से कम लेकर दाखिल दफतर ही। विषय
एहुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर
व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।


सहायक कलक्टर
साँभर लोक

